न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर, (आर0ए0एस0)
रास्ता प्रा0पत्र सं0 : 14 सन 2017
अनवान :–

1. सन्तोष पत्नी पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दिपलानातहसील नोहर।

सायला

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र पुरखाराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

गैर सायलान

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) बाबत स्वीकृत करवाने बाबत।

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, सायलान

निर्णय दिनांक :– 09/02/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 109/108 की कुल 3.0360हैक भूमि सायला के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायला अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गांव से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैर सायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 के प0न0 358/449(8) के किला न0 2/2 के मिन पश्चिमी में 0.0130हैक भूमि में से होते हुए सायला अपनी खातेदारी भूमि के प0न0 358/449(8) में प्रवेश करती है।

सायला को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है एवं आपसी सहमति से उक्त रास्ता से आवागमन हो रहा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे सायला को भविष्य में परेशानी हो सकती है इसलिये सायला अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 के प0न0 358/449(8) के किला न0 2/2 मिन की पश्चिम में 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 के प0न0 358/449(8) के किला न0 2/2 मिन की पश्चिम में 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल न0 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 109/108 की कुल 3.0360हैक भूमि सायला के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायला अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गांव से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैर सायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 के प0न0 358/449(8) के किला न0 2/2 के मिन पश्चिमी में 0.0130हैक भूमि में से होते हुए सायला अपनी खातेदारी भूमि के प0न0 358/449(8) में प्रवेश करती है।

सायला को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है एवं आपसी सहमति से उक्त रास्ता से आवागमन हो रहा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे सायला को भविष्य में परेशानी हो सकती है इसलिये सायला अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 के प0न0 358/449(8) के किला न0 2/2 मिन की पश्चिम में 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है। सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

गैरसायल न0 2 पेरोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 109/108 की कुल 3.0360हैक भूमि सायला के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायला एंव गैरसायल न0 1 दोनो एक दुसरे के चिपते खातेदार काश्तकार है सायला का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए स्वीकृत रास्ता नही है सायला गैरसायल न0 1 की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 के प0न0 358/449(8) के किला न0 2/2 मिन की पश्चिम में 0.0130हैक रास्ता से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करती है इस रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है सायला के कथनों को गैरसायल न0 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायला को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु गैरसायल की भूमि के प0न0 358/449(8) के किला न0 2/2 मिन की पश्चिम में 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता की आवश्कता रहती है एवं काश्तकार को उसकी भूमि में रास्ता दिया जाना न्यायोचित है प्रकरण में सायला एवं गैरसायल की आपसी सहमति होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र गैरसायल न0 1 की सहमति के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 के प0न0 358/449(8) के किला न0 2/2 मिन की पश्चिम में 0.0130हैक रास्ता स्वीकार किया जाता है जिसकी ऐवज में सायला गैरसायल को रास्ते में आई भूमि का बाजार भाव से मुल्य देगी इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावें व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 9/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 /   दिनांक

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 14 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1. सन्तोष पत्नी पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

सायला

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र पुरखाराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर
2. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र संख्या 14 / 2017 उक्त अनवानी स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50 / 50 के प0न0 358 / 449(8) के किला न0 2 / 2 मिन की पश्चिम में 0.0130हैक रास्ता स्वीकार किया जाता है जिसकी ऐवज में सायला गैरसायल को रास्ते में आई भूमि का बाजार भाव से मुल्य देगी आदेश पारित किये गय है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर